

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :- प.12(17)पपा/2013

जयपुर, दिनांक :- 7 OCT 2014

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.09.2013, 4.10.2013, 24.1.2014, 11.2.2014 28.5.2014 एवं आदेश क्रमांक प.12(19)पपा/2013 दिनांक 28.01.2014 द्वारा पशुपालन विभाग में एक वर्ष अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अस्थाई रूप से समेकित पारिश्रमिक पर पशु चिकित्सा अधिकारी रखे गये थे। उक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों में से वर्तमान में विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यक/अस्थाई रूप से (On Urgent Temporary basis) समेकित पारिश्रमिक पर सेवा अवधि दिनांक 30.11.2014 तक बढ़ाने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 101403634 दिनांक 23.09.2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल के आदेश से,

(एन.एल. गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार,
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101403634 दिनांक 23.09.2014 द्वारा दिये गये निर्देश की प्रति संलग्न की जाकर लेख है कि वित्त विभाग द्वारा अंकित शर्तों की समय पर पालन सुनिश्चित करें।
8. संबंधित अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक: एफ.वी.5(समेकित)स्था/अ/प.चि.अ./ 4415-4557 दिनांक : 10/10/14

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान
2. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान
3. सम्बंधित उप निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान
4. सम्बंधित कोषाधिकारी द्वारा सम्बंधित अधिकारी
5. रक्षित पंजिका।



अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य)